# महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई–मेलः dghealth.uttarakhand@gmail.com,दूरभाशः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्र संख्या–3प / कार्मिक–3 / 07 / 2025 / देहरादूनः दिनांक 10 जून, 2025

## –:आदेश :–

एतद्द्वारा निम्नलिखित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक 06.02.2018में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025–26 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:–

| क्र0 सं0 | कार्मिक का नाम | पदनाम | वर्तमान तैनाती स्थान | नवीन तैनाती स्थान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री कमल किशोर आर्य | वरिष्ठ सहायक | सामु0 स्वा0 केन्द्र कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल | प्रा0 स्वा0केन्द्र कालागढ़, टिहरी गढवाल | जनहित |

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण करते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहिता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा–24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वंय के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचारण नियमावली–2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गय कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प / कार्मिक–3 / 07 / 2025 / 16333 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल।
4. सामु0 स्वा0 केन्द्र कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल।
5. प्रा0 स्वा0केन्द्र कालागढ़, टिहरी गढवाल।
6. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, कोटद्वार, टिहरी गढवाल।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गार्ड फाईल।

(सुनीता टम्टा)
प्रभारी महानिदेशक।